

भारत सरकार
खान मंत्रालय
शास्त्री भवन : नई दिल्ली

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन ।

श्री. गोविंद दास चौदहा, कटनी से प्राप्त आवेदन दिनांक 22.08.2013 को सूचना प्रदान करने हेतु अग्रेषित किया जा रहा है। सूचना निर्धारित समय सीमा (30 दिन) में आवेदक को भिजवा दी जाए।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अनुसार यदि मांगी गई सूचना का विषय अन्य सरकारी कार्यालय से जुड़ा/सम्बद्ध है तो वह अधिकारी, जिसको आवेदन भेजा गया है, ऐसे आवेदन को संबंधित सरकारी अधिकारी/कार्यालय को, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से यथाशीघ्र लेकिन 5 दिनों के भीतर स्थानांतरित कर सकेगा तथा इस बारे में आवेदक को भी सूचित करेगा। इसके अलावा, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(4) और 5(5) के तहत अपने कर्तव्य के निर्वाहन के लिए केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी यदि किसी अधिकारी से कोई सहायता मांगे तो उसे पूरी सहायता प्रदान करनी होगी और जिस अधिकारी से सूचना मांगी गई है उसे इस अधिनियम की धाराओं के उल्लंघन की स्थिति में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी माना जायेगा।

3. अनुरोध है कि आप सूचना का अधिकार अधिनियम (शुल्क और लागत का विनियमन) नियमावली, 2005 के अनुसार अपेक्षित शुल्क लेने के बाद, लोक सूचना प्रकोष्ठ (PI Cell) को सूचित करते हुए सीधे ही प्रार्थी को सूचना प्रेषित कर दें। यदि पूरी सूचना इसका कुछ भाग रोका जाना अपेक्षित है तो, सूचना को रोके जाने के कारणों को व्याख्यात्मक क्रम में (स्पीकिंग अपीलैबल आर्डर) स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाए। कृपया आप प्रार्थी को यह भी बता दें कि यदि वह इस आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह इस आदेश/पत्र की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर अपीलीय अधिकारी (अपीलीय अधिकारी का नाम/पता भी दिया जाए) के समक्ष अपील कर सकता/सकती है।

राजेश शाह

(राजेश शाह/Rajesh Shah)

ए.सी.पी.आई.ओ./ACPIO

संलग्न: यथोपरि

22/8/13

श्री. कुल भूषण सिंह, अनुभाग अधिकारी/केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय

पी.आई. सैल/PI Cell U.O. No. MINES/R/2013/00283 दिनांक/Dated 22.08.2013

प्रतिलिपी सूचनार्थ -

श्री. गोविंद दास चौदहा, सुक्खन अखाडा के सामने, हनुमान मंदिर गली, रघुनाथ गंज वाई, कटनी - 483501 (मध्य प्रदेश).

राजेश शाह

(राजेश शाह/Rajesh Shah)

ए.सी.पी.आई.ओ./ACPIO

संलग्न

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

[सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (6) (1) के अन्तर्गत आवेदन पत्र का प्ररूप]

प्ररूप

- 2013/00283
- 9:50 PM
1. आवेदक का नाम गोविंद दास चौधरी
 2. पूरा पता/ई-मेल/फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जाना है सुखरत-अरगाड़ी के सामने, धनुमान-मार्ग, गली, रघुनाथगंज वार्ड, कटनी, (म.प्र.)-483501 - KATNI
 3. दूरभाष क्रमांक. 97622-407050/9977830768
 4. आवेदन देने का दिनांक 22-7-13
 5. कार्यालय का नाम रेखान मित्रालय - कमरा नं० 909-D
 6. चाही गई जानकारी का विवरण निजी जन कस क्रमांक 16(4)2005-आर०सी० का फाइल नंबर 16(4)E) 2005 की उगावित्त कापी
 7. क्या चाहते हैं नकल/निरीक्षण/रिकार्ड निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना
 8. आवेदक के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस फी- रुपये 10/- नगद/स्टॉम्प (वीपीएल सूची के सदस्य को देय नहीं) रसीद क्र. एवं दिनांक
 9. क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे हैं अथवा नहीं—नां/हाँ
यदि हो तो वी. पी. एल. सूची का अनुक्रमांक



Gorindas Choudhary
हस्ताक्षर
(आवेदनकर्ता)

टिप.—यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रुपये 10/- का नान-ज्यूडिशियल स्ट करते हुए स्वयं का पता अंकित करते हुए आवेदनक गणिका का डाक चिन्हित रूप लिखना संलग्न प्रेषित करें.

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक
2. आवेदनकर्ता को संबंधित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अंतिम ब्याख्या हेतु उपस्थित होने का दिनांक
3. संबंधित शाखा/अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी
(लांक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत)

दिनांक

पावती के हस्ताक्षर
दिनांक (लांक सूचना)

SPEED POST
RTI MATTER

Government of India
Ministry of Mines

No. 01(02)/2013-RC-II

New Delhi, the 19.09.2013.

To

Shri Govind Das Chaudaha,
In front of sukkhan Akhada,
Hanuman Mandir Gali,
Raghunath Ganj Ward,
Katni-483501(M.P.)


Sub: RTI Act,2005-reg.

Sir,

Kindly refer to your RTI application dated 22.08.2013 regarding seeking information under RTI Act, 2005 and to furnish the copies of the documents as desired by you.

In case you are not satisfied with above reply you may prefer the first appeal under Section 19 of the RTI Act, 2005 before the Appellate Authority Shri Bijender Singh, Deputy Secretary, Ministry of Mines, Room No. 315. "D" Wing, Shastri Bhawan, New Delhi within 30 days of receipt of this communication.

Yours faithfully,


(K.B.Singh)

Section Officer&CPIO

Encl-As above

P.I.Cell w.r.t. U.O. No. Mines/R/2013/00283, dated 22.08.2013